भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *59 जिसका उत्तर

गुरूवार, **4 फरवरी**, 2021/15 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों का निजीकरण

†*59. डॉ० कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागरमाला परियोजनाओं की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इन परियोजनाओं के अंतर्गत पत्तनों को निजी कंपनियों को सौंप रही है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु में निजी कंपनियों को सौंपे गए पत्तनों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कट्टुपल्ली में पत्तन विस्तार के कार्य को भी निजी कंपनियों को सौंप दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पत्तन के प्रस्तावित विस्तार से तमिलनाडु के गांवों में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे तथा तिरूवल्लुर एवं चेन्नई के लिए बाढ़ का खतरा उत्पन्न होगा तथा कट्टुपल्ली पत्तन का विस्तार किए जाने से अनेक मत्स्यन बसावटें समुद्र में डूब जाएंगी?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पत्तनों के निजीकरण" के संबंध में डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा उठाए गए दिनांक 04 फरवरी, 2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *59 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित विवरण

(क) सागरमाला कार्यक्रम के चार मुख्य उद्देश्य पत्तन आधुनिकीकरण एवं नए पत्तन का विकास, पत्तन संपर्कता को बढ़ाना, पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण और तटीय सामुदायिक विकास हैं। सागरमाला कार्यक्रम, महापत्तनों और गैर-महापत्तनों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें आधुनिकीकृत कर कुशल बनाने के मुख्य लक्ष्य को हासिल करने का इरादा रखता है।

सागरमाला के तहत 3.55 लाख करोड़ रूपये के अनुमानित अवसंरचना निवेश के साथ 504 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें से 159 परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

(ख) और (ग) सागरमाला कार्यक्रम के तहत सरकार पत्तनों को निजी पक्षों को नही सौंप रही है।

(घ) भारत सरकार द्वारा काटुपल्ली में कोई पत्तन नहीं सौंपा गया है। तथापि, तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि तमिलनाडु समुद्री बोर्ड ने काटुपल्ली पत्तन के विस्तार का कार्य निजी डेवलपर द्वारा किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ङ) परियोजना विकास के एक भाग के रूप में डेवलपर को आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करनी अपेक्षित है, जिसमें नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सार्वजनिक परामर्श करना भी शामिल है। डेवलपर द्वारा सीआरजेड और पर्यावरण संबंधी अनापत्तियां प्राप्त की जानी शेष हैं।

*****